न्यायालय कलेक्टर, जिला–सीधी (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी, दिलीप कुमार आए.ए.एस. कलेक्टर,जिला सीधी)

प्रकरण क्रमांक / 0001 / अ–19(3) / 2018–2019

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म0प्र0)..............आवेदक।

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक।

न्यायालय कलेक्टर जिला–सीधी

आदेश

(पारित दिनांक 21 दिसम्बर, 2018)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर सीधी जिला सीधी के द्वारा पत्र क्रमांक 1898/कार्य/2018 सीधी दिनांक 05.10.2018 प्रेषित कर बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) हेतु नहर निर्माण में वन विभाग के कम्पार्टमेन्ट क्रमाक पी–929 ग्राम गजरी की 0.483 हे0, पी–930 ग्राम चुरवाही की 0.832 हे0, पी 923–1ग्राम पटेहरा कोठार की 1.147 हे0, पी–923–1x ग्राम झुनरिया दुअरा कला की 0.390 हें0 कूल रकवा 2.851 हे0 प्रभावित वन भूमि के एवज में जल संसाधन विभाग की ग्राम बोदारीटोला की भूमि खसरा नम्बर 136 रकवा 7.150 हे0 में से 2.851 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया।

2. उपरोक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, मझौली से जॉच प्रतिवेदन मॅगाया गया। तहसीलदार मझांली के द्वारा ग्राम बोदारीटोला की शासकीय आराजी नम्बर 136 रकवा 7.150 हे में से आवेदित रकवा हस्तान्तरित करने के लिए इश्तहार का प्रकाशन किया गया। म्याद अन्दर किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

3. उपखण्ड अधिकारी मझौली के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0001 / अ–74 / 2018–2019 प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 में ग्राम बोदारीटोला की शासकीय आराजी नम्बर 136 रकबा 7.150 हे0 में से अंश रकबा 1.315 हे0 वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु अनुसंशा की गयी है। तहसीलदार मझौली ने प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम बोदारीटोला की आराजी क्रमाक 136 रकवा 7.150 हे0 में से 1.315 हे0 भूमि वन विभाग को दिये जाने के पश्चात भी ग्राम बोदारीटोला में चरनोई का रकवा 2.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। प्रस्तावित रकबा को नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी मझौली ने प्रतिवेदन दिनाक 21.12.2018 में भूमि खसरा कमाक 136 रकवा 7.150 हे0 में से अंश रकबा 1.315 हे0 एंव रकवा 1.536 हे0 सहित कुल रकवा 2.851 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

Collector Sidhi M.P.

4 सचिव, म0प्र0शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
5. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को सूचनार्थ।
6. वन मण्डल अधिकारी सीधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उपखण्ड अधिकारी, मझौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9–.तहसीलदार मझौली संलग्न नक्शा अनुसार अभिलेख दुरूस्त कराकर मौके पर भूमि का कब्जा वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल सीधी को प्रदान कर संशोधित खसरे एवं नक्शे की नकल सहित पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के अन्दर भेजें।

जिला [illegible] (म0प्र0)

4. कार्यपालन यंत्री, महान नहर सीधी जिला सीधी के द्वारा बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) हेतु नहर निर्माण में वन विभाग की प्रभावित भूमि के समतुल्य रकवा जल संसाधन विभाग की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण करने का निवेदन किया गया है।

5. प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 2018–2019 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम बोदारीटोला पटवारी हल्का बोदारीटोला नं0–18 राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली तहसील मझौली की प्रस्तावित शासकीय आराजी क्रमांक 136 रकबा 7.150 हे0 मध्यप्रदेश शासन सिचाई विभाग (आवेदक विभाग) दर्ज अभिलेख पायी जाती है।कार्यपालन यंत्री सिंचाई महान नहर संभाग सीधी ने अपने पत्र कमाक 1898/कार्य/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा उक्त भूमि में से जुज रकवा 2.851 हे0 भूमि वन विभाग को अन्तरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित भूमि झुड़पी, जंगल, मद की नही है। आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रस्तावित भूमिं वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है।

6. शासकीय विभाग को सरकारी भूमि अन्तरित किये जाने के लिये राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार, क्रमांक–2 की कण्डिका 05 में प्रावधानित किया गया है।

अतएव उपखण्ड अधिकारी मझौली के प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 21.12.2018 के अनुसार तहसील मझौली के पटवारी हल्का बोदारीटोला नं0–18 के ग्राम बोदारीटोला की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 136 रकवा 7.150 हे0 में से अंश रकबा 2.851 हे0 ग्राम गंजरी , चुरवाही, पटेहरा कोठार, झुमरिया दुअराकला की नहर निर्माण में वन विभाग की कुल प्रभावित रकवा 2.851 हे0 के समतुल्य रकवा सिचाई विभाग से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन मण्डलाधिकारी सीधी को निःशुल्क अन्तरित की जाती है। शेष रकवा 4.299हे0 यथावत सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रहेगा।

(दिलीप कुमार)
कलेक्टर
जिला सीधी (म0प्र0)

पृ0प्रकरण क्रमांक/0001/अ–19(3)/2018–2019 सीधी, दिनांक 021दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :–

1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, प्रगति भवन तृतीय तल एम.पी.नगर जोन–01 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2.सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
3. सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।